1/2022/।/129408/2022-71-2099/935/2021

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 05 जनवरी, 2022

विषयः-वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र की मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने एवं उपकरणों की सूची अनुमोदित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1938/डा0आर0एम0एल0आई0एम0एस0/एम0 एम0 (ई0क्यू0)/2021-22, दिनांक 03 सितम्बर, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान के विभिन्न विभागों हेतु उपकरणों की सूची अनुमोदित करते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत उपकरण मद में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संलग्न सूची में उल्लिखित उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ हेतु मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 3500.00 लाख (रूपया पैतीस करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें।
2. प्रस्तावित उपकरणों की विशिष्टियां, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों का निर्धारण डॉ0 अविनाश अग्रवाल, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, क्रिटिकल केयर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

मेडिसिन विभाग, के0जी0एम0यू0 की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही उपकरणों का क्रय किया जाए।

3. प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा उपर्युक्त तकनीकी समिति की होगी।
4. संलग्न सूची में उल्लिखित उपकरणों का क्रय अनुमोदित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही किया जायेगा।
5. वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही उपकरणों के क्रय की कार्यवाही संस्थान के स्तर से नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
6. संस्थान हेतु उपकरण/संयंत्र मद में प्राविधानित सीमा तक ही उपकरणों का क्रय किया जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में प्राविधानित धनराशि से अधिक का आहरण/व्यय नहीं किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति संस्थान द्वारा कर ली जाये।
8. स्वीकृत धनराशि बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा।
9. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22-03-2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
11. दर अनुबन्ध/निविदा निर्गत होने से पूर्व वित्त नियंत्रक द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगें कि प्रस्तावित उपकरण हेतु किसी एक विशेष कम्पनी की विशिष्टियॉं न हो तथा बाजार में उपलब्ध प्रतिष्ठित कम्पनियों की विशिष्टियों (Technical Specifications) का यथासम्भव समावेश किया जाये।
12. वित्त नियंत्रक द्वारा सी0वी0सी0 एवं वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. संबंधित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रोक्योरमेन्ट/गवमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से संबंधित समय-समय पर निर्गत सुसंगत अद्यतन शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. निदेशक/वित्त नियंत्रक द्वारा क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. प्राइज जस्टिफिकेशन संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराना निदेशक/वित्त अधिकारी /विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी।
16. संस्थान के वित्त नियंत्रक्/वित्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उपकरणों का क्रय किए जाने में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया हो और उपकरणों का क्रय न्यूनतम मूल्य पर किया जाय।
17. उक्त उपकरणों का क्रय किए जाने के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताएं नियमानुसार पूर्ण किये जायेंगे।
18. उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा। किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।
19. वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (क्रयादेश/उपकरण स्थापना की सूचना सहित) यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
20. प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य के शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसिफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित किया जाय।
21. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अंतर्गत अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूँजी लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-04-डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीटयूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर, लखनऊ-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र'' के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसारः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(मुमताज अहमद सिददीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1/2022/।/129408/2022-71-2099/935/2021, दिनांक 05 जनवरी, 2021 का संलग्नक।

Sr. No.	Name of Department	Name of Equipment	Qty.	Unit Estimated Cost	Total Estimated Cost
1	Surgical Oncology	Hysteroscopy Set and Therapeutic Diagnostic	1	1,000,000.00	1,000,000.00
2		Pipac	1	500,000.00	500,000.00
3	General Surgery	ETO Machine	1	6,500,000.00	6,500,000.00
4		LAPAROSCOPY SET	1	6,500,000.00	6,500,000.00
5	Gastrosurgery	Ultrasonic hand piece (For CUSA machine)	1	2,000,000.00	2,000,000.00
6		Laparoscopic Endovision system (4K)	1	6,500,000.00	6,500,000.00
7	DENTISTRY	Piezo surgery unit with all kits	1	300,000.00	300,000.00
8		Physiodispenser	1	200,000.00	200,000.00
9		Cautery machine with two bipolar, one monopolar and one disposable cord	2 set	150,000.00	300,000.00
10		Soft Tissue Dental Laser (7 watt)	1	500,000.00	500,000.00
11		Portable Xray unit	1	200,000.00	200,000.00
12		Autoclave B type 23 l capacity	1	300,000.00	300,000.00
13		Endo motor	1	100,000.00	100,000.00
14		Centrifuge machine for iPRF	1	150,000.00	150,000.00
15		Implant kit (with all attachments)	1	200,000.00	200,000.00
16		Vaccum Forming Machine	1	250,000.00	250,000.00
17		Complete Maxillofacial Trauma Kit (with anodized boxes, drills, bits, drivers, modelling lever, pliers)	1	200,000.00	200,000.00
18		Electric Saw - Reciprocating and Oscillating Saws with hand pieces and blades	1	300,000.00	300,000.00
19		Cryotherapy Unit	1	150,000.00	150,000.00
20		Magnifying Surgical Loupes	1	150,000.00	150,000.00
21		OPG Machine with Lateral Set	1	900,000.00	900,000.00
22		Sinus Lift Kit (Direct and Indirect)	1	100,000.00	100,000.00
23	ENT	Miscellaneous ENT surgical instruments	1 set	100,000.00	100,000.00
24		Patient body warmer	1	100,000.00	100,000.00
25	Ophthalmology	Operating Microscope with Camera and TV unit	1	4,000,000.00	4,000,000.00
26		OT Table	1	1,000,000.00	1,000,000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

27		Cautery Machine	1	350,000.00	350,000.00
28		Indirect Ophthalmoscope (Battery operated with +20D lense)	1	225,000.00	225,000.00
29	Pathology	Gel electrophoress system Immunofixation C.S.F and V.W.D	1	3,800,000.00	3,800,000.00
30		Slide Auto stainer	1	8,000,000.00	8,000,000.00
31	Orthopedics	High speed Micro Power Drill System	1	2,500,000.00	2,500,000.00
32		Operating Microscope	1	10,000,000.00	10,000,000.00
33		OT Light	1	2,000,000.00	2,000,000.00
34		Vascular Instrument set	1	1,000,000.00	1,000,000.00
35	Radiodiagnosis	Digital radiography Machine	1	10,000,000.00	10,000,000.00
36		Upgradation of 64 Slice CT-Scanner	1	10,000,000.00	10,000,000.00
37		128 slice CT SCAN Machine	1	70,000,000.00	70,000,000.00
38	Nephrology	ICU Bed	4	100,000.00	400,000.00
39		Transport Monitor	1	500,000.00	500,000.00
40		Dialysis Machine	2	1,000,000.00	2,000,000.00
41		Reverse Osmosis system for dialysis (1000 lit./hr.)	1	2,000,000.00	2,000,000.00
42	Emergency Medicine	Point of care laboratory for quantitative estimation of cardiac enzymes, ABG and electrolytes	1	1,000,000.00	1,000,000.00
43		Suturing Mannequin	1	1,000,000.00	1,000,000.00
44		HHHFNC (heated humidified high-flow nasal cannula)	1	400,000.00	400,000.00
45		Portable ultrasound with multiple probes including ECHO probe (including probes for pediatric/infant evaluation)	1	2,500,000.00	2,500,000.00
46		Defibrillator with external pacer (with additional attachments/paddles for padiatric age group)	1	250,000.00	250,000.00
47	Physiology	Treadmill Test	1	200,000.00	200,000.00
48	Endocrine Surgery	Open Instrument Set	1 set	3,250,000.00	3,250,000.00
49	CVTS	ABG Machine	1	1,000,000.00	1,000,000.00
50		Patient warmer machine	4	80,000.00	320,000.00
51		Defibrillatator	1	500,000.00	500,000.00
52	Pharmacology	ECG and Metabolic Measurement Systems for Small Animals	1	3,000,000.00	3,000,000.00
53	Neurosurgery	High end operating microscope with exoscope and flow measurement and vessel imaging software	1	40,000,000.00	40,000,000.00
54		Micro instruments	1 set	2,000,000.00	2,000,000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

55	Transfusion Medicine & Blood Bank	Automated Blood Grouping system	1	10,000,000.00	10,000,000.00
56	Neurology	TMS (Transcranial Magnetic Stimulator)	1	10,000,000.00	10,000,000.00
57	Microbiology	ELISA reader and ELISA washer	2 set	450,000.00	900,000.00
58		Micro Centrifuge	1	150,000.00	150,000.00
59		Thermomixer C	1	550,000.00	550,000.00
60	Obstetrics and Gynecology	NST Machine	2	200,000.00	400,000.00
61		Colour Doppler Ultrasound Machine	1	5,000,000.00	5,000,000.00
62	Anatomy (for Surgical Cadaveric Lab)	Surgical Hydraulic operation table compatible with C-Arm	1	300,000.00	300,000.00
63		LED Surgical light with external camera system	1	300,000.00	300,000.00
64		C-Arm Machine	1	2,500,000.00	2,500,000.00
65		Operating Microscope	1	1,000,000.00	1,000,000.00
66		Horizontal Chest Deep Freezer -20 Degree Celcius 1000 Ltr.	1	400,000.00	400,000.00
67		Sterilizer	1	100,000.00	100,000.00
68	Biochemistry	Tube Labellar	1	1,000,000.00	1,000,000.00
69		Liquid Handling System	1	3,500,000.00	3,500,000.00
70	PMR	Short Wave Diathermy	1	1,000,000.00	1,000,000.00
71		IR Camera based Gait and Foot Pressure Studies Lab with Accessories	1	20,000,000.00	20,000,000.00
72	Urology	Nephro Scope 18/20/22 FR	2	500,000.00	500,000.00
73		Ureteroscope 4.5 FR	1	500,000.00	500,000.00
74		Ureteroscope 6 FR	1	500,000.00	500,000.00
75		C-Arm Machine	1	10,800,000.00	10,800,000.00
76	Blood Bank (Hospital Block)	Column Agglutination Technology (CAT) System	1	250,000.00	250,000.00
77		Donor Couch Motorised (Electric Blood Donor Couch)	4	200,000.00	800,000.00
78		Donor Couch Portable	6	50,000.00	300,000.00
79		Automatic Blood Component Extractor	1	1,600,000.00	1,600,000.00
80		Vertical Automated Autoclave	1	600,000.00	600,000.00
81		Laboratory Incubator	1	200,000.00	200,000.00
82		Blood Bank Refrigerator	2	400,000.00	800,000.00
83		Deep Refrigerator -40 0 C	1	500,000.00	500,000.00
84		Apheresis	1	2,500,000.00	2,500,000.00
85		Deep Refrigerator -80 0 C	1	800,000.00	800,000.00
86	General Medicine	Portable Ultrasound Machine	1	3,000,000.00	3,000,000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

87		U.V. Asepticizer	3	950,000.00	2,850,000.00
88		Central cardiac monitor console	2	300,000.00	600,000.00
89	For Covid-19 Hospital	ECMO	1	3,000,000.00	3,000,000.00
90		USG	1	2,500,000.00	2,500,000.00
91		ACT	1	500,000.00	500,000.00
92	Anesthesiology	Anesthesia Workstation	2	3,000,000.00	6,000,000.00
93		High End monitor with Central Monitor	14	700,000.00	9,800,000.00
94		Cold Radiofrequency Ablation	1	7,000,000.00	7,000,000.00
95	For Hospital use	Multipara Monitor (5 Para or more)	32	350,000.00	11,200,000.00
96		Multipara Monitor (Low End)	30	100,000.00	3,000,000.00
97		Infusion Pump	125	30,000.00	3,750,000.00
98		ECG Machiine	10	100,000.00	1,000,000.00
99	for Hospital Use (General Medicine)	Patient Bed (Fowler)	50	20,000.00	1,000,000.00
100	for Pvt. Ward (Hospital Block)	Mobile Digital Radiography	1	2,000,000.00	2,000,000.00
101	Miscellaneous	Hospital Furnitures, Miscellaneous items, Minor Equipments, Custom Duty, Custom Clearance, Cost Fluctuation etc.			4,355,000.00
Grand total					350,000,000.00

भवदीय

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।